न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 31/2020

1 महेश कानोडिया उम्र 66 साल पुत्र स्व. मोहनलाल कानोडिया निवासी सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
2 पवन कानोडिया उम्र 58 साल पुत्र स्व. मोहनलाल कानोडिया निवासी सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.। जरिये मुख्तयार महेश कानोडिया उम्र 66 साल पुत्र स्व. मोहनलाल कानोडिया निवासी सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
3 अशोक कानोडिया उम्र 54 साल पुत्र स्व. मोहनलाल कानोडिया निवासी सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.। जरिये मुख्तयार महेश कानोडिया उम्र 66 साल पुत्र स्व. मोहनलाल कानोडिया निवासी सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 कस्टोडियन विभाग जरिये जिला कलेक्टर झुन्झुनू राज.।
2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
3 भतेरी देवी पत्नी शुभराम जाति मेघवाल निवासी अगवाना कला तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
4 जेखीराम पुत्र सूरजाराम जाति नायक निवासी वार्ड नम्बर 2 सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू।
5 महेन्द्र सिंह पुत्र स्व. किशनलाल जाति मेघवाल निवासी ओजटू तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

6 कृष्ण पुत्र हनुमान जाति नायक निवासी वार्ड नम्बर 2 सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू।
7 भंवरलाल पुत्र हनुमान जाति नायक निवासी वार्ड नम्बर 2 सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू।
8 हरिराम पुत्र श्री सूरजाराम जाति नायक निवासी वार्ड नम्बर 2 सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू।
9 जीवन सिंह पुत्र भगवानाराम जाति नायक निवासी वार्ड नम्बर 1 सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 06.02.2020
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ व मुकदमा
उनवानी महेश कानोडिया आदि बनाम कस्टोडियन विभाग
आदि मु.नं. 67/2015 दावा बाबत – घोषणार्थ व रिकार्ड
दुरूस्ती व विभाजन

उपस्थिति :

1. श्री अजीत पापटवान, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री शिवकुमार जेवरिया, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री हजारीलाल सुनियां, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

—निर्णय—

दिनांकः— 9.9.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 67/2015 में पारित निर्णय दिनांक 06.02.2020 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्टस/वादीगण ने विचारण न्यायालय के यहां उपरोक्त उनवानी वाद इस आशय का पेश किया कि वादीगण/अपीलान्टस के पिता ने भूमि गत खसरा नम्बर 442 रकबा 7 बीघा 14 बिश्वा हाल खसरा नम्बर 949 रकबा 3.26 हैक्टेयर वाके ग्राम सूरजगढ़ में से जरिये पटटा संख्या 86 दिनांक 03.11.1971 को 2 बीघा 2 बिश्वा भूमि पुरानी कब्जा काश्त के आधार पर प्राप्त की थी। उपरोक्त वाद पेश होने पर प्रतिवादीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी इस आशय का पेश किया कि कस्टोडियन विभाग के विरूद्ध दावा सुनने का विचारण न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। अपीलान्टस द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर निवेदन है कि विवादित भूमि गत खसरा नम्बर 442 में से 2 बीघा 2 बिश्वा भूमि अपीलान्टस के पिता ने जरिये पटटा संख्या 86 दिनांक 03.11.1971 को प्राप्त की थी वादीगण/अपीलान्टस ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में यह भी अंकित किया कि उक्त पट्टे के आधार पर वादीगण/अपीलान्टस के हक में आधार पर वादीगण/अपीलान्टस के हक में नामान्तकरण संख्या 583 दिनांक 25.01.1973 को मन्जूर होकर उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में अपीलान्टस के पिता के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गयी थी परन्तु हाल सेटलमेंट में सेटलमेंट विभाग ने अपने क्षेत्राधिकार की गलती करते हुये उक्त भूमि को वापिस राजस्थान सरकार कस्टोडियन विभाग के नाम केवल मात्र सेटलमेंट से तुरन्त पूर्व की प्रविष्टियां ही रिकार्ड में दर्ज करनी थी इस प्रकार अपीलान्ट ने सेटलमेंट विभाग द्वारा तैयार किये गये गलत राजस्व

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

रिकार्ड की दुरूस्त करने का दावा किया था परन्तु विचारण न्यायालय ने बिना किसी कारण के प्रतिवादीगण का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये वादीगण का वाद अपने निर्णय दिनांक 06.02.2020 के द्वारा खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि वाद पत्र के अभिवचनों में यह स्पष्ट दर्ज किया है कि वादीगण/अपीलान्टस के पिता ने महकमा कस्टोडियम से जरिये पटटा संख्या 86 भूमि में क्रय कर उसकी किमत व बकाया लगान कस्टोडियन विभाग में जमा करवा दिया व पटटा प्राप्त कर लिया और इस आधार पर वादीगण/अपीलान्टस के पिता के नाम से नामान्तकरण संख्या 583 मंजूर हो गया तथा राजस्व रिकार्ड में रकबा 2 बीघा 2 बिश्वा की खातेदारी वादीगण के पिता मोहन लाल के नाम दर्ज रिकार्ड हो गई तथा सेटलमेंन्ट विभाग ने सेटलमेंट के दौरान उक्त भूमि को दुबारा कस्टोडियन विभाग के नाम दर्ज कर दिया वाद पत्र के इन अभिवचनों पर गौर किये बिना ही विचारण ने उक्त निर्णय व डिक्री पारित कर अहम कानूनी गलती की है। सैटलमेंट विभाग के द्वारा किये गये किसी गलत इन्द्राज के आधार पर वादीगण की खातेदारी समाप्त नहीं की जा सकती इस कानूनी बिन्दू पर गौर किये बिना ही उक्त निर्णय व डिक्री पारित कर विचारण न्यायलाय ने कानूनी गलती की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादी अपीलांट द्वारा कस्टोडियन की भूमि की खातेदारी उद्घोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट की ओर से आदेश 07 नियम 11 का आवेदन प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय ने विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में कस्टोडियन भूमि दर्ज होने से ऐसी भूमियों का श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होने के कारण वाद वादी विधि द्वारा वर्जित होने से विचारण न्यायालय ने आवेदन 07 नियम 11 स्वीकार किया है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। इमसें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादी अपीलांट द्वारा कस्टोडियन की भूमि की खातेदारी उद्घोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट की ओर से आदेश 07 नियम 11 का आवेदन प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय ने विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में कस्टोडियन भूमि दर्ज होने से ऐसी भूमियों का श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होने के कारण वाद वादी विधि द्वारा वर्जित होने से विचारण न्यायालय ने आवेदन 07 नियम 11 स्वीकार किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 9.9.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर